फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु. नं. 17 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2019	(see below)	

08.01.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व बज्जू से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने खाता दुरूस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न खातेदारी सनद की छायाप्रति। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू–अभिलेख निरीक्षक गौडूं की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बज्जू की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 13 पी एस एम ए तहसील बज्जू व जिला बीकानेर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 में खाता संख्या 10 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	13 पी एस एम ए	10	सरदार सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत सा. साललोड तहसील नीम का थाना जिला सीकर भूतपूर्व सैनिक पु. आ.	सरदार सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत सा. सावलोडा लाडखानी तहसील व जिला सीकर भूतपूर्व सैनिक पु. आ.

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व बज्जू को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हरब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 8/1/19

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत

Scanned by CamScanner